

आदेश की क्रम
संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कारवाई के बारे
लिपि तारीख
सहित
3

27.11.2011

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ
राजस्व विविध वाद संख्या-122/2011
बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)

मोस0 सतनी देवी, पति-स्व0 मुनीलाल उरांव, साकिन-मटगामा, मौजा-रानीपतरा,
थाना-सदर, जिला- पूर्णियाँ..... आवेदिका

बनाम

बिहार सरकार.....

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदिका द्वारा अपनी बीमारी के इलाज में लिये गये कर्ज को चुकाने हेतु मौजा-रानीपतरा, थाना नं0-103, खाता नं0-352, खेसरा नं0-1040, रकवा 0.70 एकड़ जमीन बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (G) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदिका का कथन है कि बिक्री की जानेवाली जमीन सोमर उरांव, पिता-शनीचर उरांव के नाम सर्वे खतियान दर्ज है। सोमर उरांव अपने एकमात्र पुत्र मुनी लाल उरांव को छोड़कर मर गये हैं। आवेदिका मुनी लाल उरांव का पत्नी है। मुनी लाल उरांव अपनी पत्नी एवं पुत्र, पुत्री को छोड़कर मर गये।



इस संबंध में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से प्रतिवेदन की मांग की गयीं। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 1116, दिनांक 25.07.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि :-

आवेदिका के पास कुल धारित जमीन की विवरणी जो स्व0 ससुर के नाम दर्ज है :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	लगान भुगतान
रानीपतरा	103	324	1227	0.39	2004-05
		357	1228	0.03	2004-05
		352	1044	0.70	2009-10
			1133	0.60	2009-10
			कुल	1.72	

बिक्री की जानेवाली जमीन का ब्यौरा :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
रानीपतरा	103	352	1040	0.70

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					
1	2					
बिक्री करने के पश्चात अवशेष जमीन का ब्यौरा :						
	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	लगान भुगतान
	रानीपतरा	103	324	1227	0.39	2004-05
			357	1228	0.03	2004-05
			352	1133	0.60	2009-10
				कुल	1.02	
(एक एकड़ दो डिसमिल)						
<p>वर्तमान में प्रश्नगत भूमि आवेदिका मोस० सतनी देवी, पति-स्व० मुनी लाल उरांव के कब्जे में है। जमाबन्दी सोमर उरांव, पिता-स्व शनीचर उरांव के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भूदान, भू-हदबन्दी, सैरात एवं स्वत्ववाद से मुक्त है।</p>						
<p>आवेदिका शादी एवं आपसी लेन-देन हेतु जमीन बिक्री करना चाहती है। अंचलाधिकारी ने जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा की है। अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को स्वयं ईलाज में हुए कर्ज को चुकाने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।</p>						
लेखापित एवं संशोधित।						
 समाहर्ता, पूर्णिया			 समाहर्ता, पूर्णिया			